

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / ०९ / डी- 1367

दिनांक:- ३१-८-०९

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 57वीं बैठक दिनांक: 28.8.09 को प्रातः 10.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :—

क्र. सं	जो. नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.	57:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 56वीं बैठक दिनांक 17.08.09 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन एवं 51वीं से 56वीं बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा	I. प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 56वीं बैठक दिनांक 17.08.09 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। II. प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 52वीं बैठक दिनांक 1.6.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :— i. प्रस्ताव संख्या 52:6 के संदर्भ में उपायुक्त जोन 12 ने बताया की बढ़े हुये क्षेत्रफल को आरक्षित दर की दुगुनी कीमत पर लेने के संबंध में सहमति प्रदान करने हेतु आवंटियों को पत्र जारी कर दिया गया है। किन्तु सहमति अथवा असहमति प्राप्त नहीं हुई है। ii. प्रस्ताव संख्या 52:7(2) के संबंध में सूचना आयोग कार्यालय भवन हेतु प्रस्ताव की अनुपालना के क्रम में जोन उपायुक्त-1 ने अवगत कराया कि संस्थानिक क्षेत्र में एक भूखण्ड के विवाद का निस्तारण हुआ है जिसमें से आवंटन किये जाने पर विचार किया जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि जो भूखण्ड निस्तारित हुआ था उस पर कोर्ट ने दिनांक 23.07.09 को स्थगन दे दिया है। उपायुक्त को निदेशित किया गया कि वे प्राथमिकता से स्टे वेकेट कराने की कार्यवाही करें। iii. अनुपालना से शेष बिन्दुओं पर क्रियान्विति आगामी बैठक से पूर्व सुनिश्चित की जावे। III. प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 53वीं बैठक दिनांक 18.6.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :— i. प्रस्ताव संख्या 53:2 विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र ग्राम कानोता तहसील बस्सी के संबंध में यह निर्णय किया गया था कि प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र के स्थान पर संस्थानिक करवांया जावे जिसके लिए राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.2.09 के अनुसरण में धारा 25(3) व 25(2) की कार्यवाही की जावे। यह भी निर्णय लिया गया था कि इससे पूर्व मौके पर भूमि का पीटी सर्वे करवाया जावे और संस्थानिक आवंटनों के प्रयोजनार्थ इसकी स्थानिंग भी करवा ली जावे।	

जनेयुग विकास प्राधिकरण, एल.पी.एस., जम्बुदुवा

			<p>संस्थानिक आवंटनों के लिए 60फीट रोड की कनेक्टीविटी को भी प्लान किया जावे। उपायुक्त जोन 12 ने बताया कि पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु निदेशक (अभियांत्रिकी) को भेजी गई है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि निदेशक (अभियांत्रिकी) द्वारा अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र की जावे साथ ही निदेशक (आयोजना) भी अपेक्षित प्लानिंग कर अवगत करावे। उपायुक्त ने बताया कि पूर्व में कराया गया पीटी सर्वे अपूर्ण होने से दोबारा पीटी सर्वे करवाकर सॉफ्ट कॉपी निदेशक आयोजना को भिजवा दी गई है। प्रकरण में शीघ्र प्लानिंग करने के निर्देश दिये गये।</p>	
			<p>IV. प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 55वीं बैठक दिनांक 07.08.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :—</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रस्ताव संख्या 55:3(4) एयरपोर्ट बाउण्ड्री के पास 160 फीट रोड में आ रहे भूखण्डधारियों का पुनर्वास करने हेतु प्रस्तावित पुनर्वास के संबंध में पूर्व में पुनर्वासित किये गये व्यक्तियों के संदर्भ में विस्तृत परीक्षण कर पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश उपायुक्त जोन 4 को दिये गये थे। उपायुक्त ने बताया कि प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। पुनः निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक में आवश्यक रूप से एजेण्डा प्रस्तुत किया जावे। 	
2.	9	57:2	भूखण्ड संख्या डी-334 महल योजना के बढ़े हुए क्षेत्रफल 22 वर्गमीटर को आवंटन करने प्रार्थी श्री सुनिल कुमार गुप्ता।	आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी कीमत पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
3.	9	57:3	भूखण्ड संख्या ई-49 कॉनर क्षेत्रफल 270 वर्गमीटर में बढ़े हुए क्षेत्रफल 63 वर्गमीटर का आवंटन करने प्रार्थी श्रीमती वीणा वर्मा।	आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी कीमत पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
4.	9	57:4	भूखण्ड संख्या डी-146 सेन्ट्रल स्पाइन योजना में बढ़े हुए क्षेत्रफल 54 वर्गमीटर का श्रीमती रेणु जैन को आवंटित करने।	आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी कीमत पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
5.	12	57:5	श्री नंदलाल गुर्जर पुत्र चौथमल गुर्जर को हरचन्दपुरा डेयरी योजना में भूखण्ड संख्या 203 क्षेत्रफल 270 वर्गमीटर के बदले अन्य रिक्त भूखण्ड संख्या 125, 137 व 193 में से एक भूखण्ड आवंटन करने।	प्रार्थी द्वारा राशि जमा न कराने के कारण मूल रूप से आवंटित भूखण्ड को दिनांक 18.06.04 को निरस्त किया गया था एवं निरस्त किया गया भूखण्ड अन्य व्यक्ति को आवंटित हो गया था। चूंकि निरस्त आवंटन की बहाली मूल भूखण्ड के रूप में ही और निर्धारित समयावधि में ही की जा सकती है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पहले यह प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष रखा जावे।

श्रीतो आयुक्त विकास प्राधिकरण (एल.पी.सी.)
जयपुर

6.	1	57:6	मालवीय नगर (उपकार सोपिंग सेन्टर) जविप्रा की आवासीय योजनाओं में व्यावसायिक निर्मित दुकाने जिन्हे बिना छत के आवंटित किया गया है। उन्ही आवंटियों को वाणिज्यिक आरक्षित दर पर छत का आवंटन किये जाने के संबंध में मैसर्स सेन्ट्रीफेक्शन फूड कॉर्नर प्रा० लि० दुकान संख्या 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21	उपायुक्त जोन 1 के प्रतिनिधि ने जानकारी दी कि जविप्रा की आवासीय योजनाओं में जिन आवेदकों को दुकानों का बेचान किया गया था उनके द्वारा ये दुकाने अन्य को बेचान कर दी गई है। दुकानों के उपर छत पर जाने के लिये सीढ़िया नहीं बनी हुई है किन्तु सीढ़ियां बनाने के लिये जगह उपलब्ध है। चुक्त उक्त दुकानों के उपर छत को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ निलाम किये जाने से अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी अतः समिति ने निर्णय लिया कि निदेशक (आयोजना) इसकी 15 दिन में प्लानिंग करे। निदेशक (अभियांत्रिकी) को निर्देश दिये गये कि वे 1 माह में प्लानिंग के अनुसार सीढ़ियों का निर्माण करवाये। तत्पश्चात उक्त छतों को निलामी में रखे जाने हेतु प्रस्तावित करे।
7.	7	57:7	वैशाली नगर योजना सी-ब्लाक डिसपेन्सरी के पास निर्मित दुकान संख्या 2 की छत का वर्तमान वाणिज्यिक आरक्षित दर पर आवंटन बाबत प्रार्थी रघुवीरशरण अग्रवाल।	विचार विमर्श के पश्चात यह तय हुआ कि दोनो दुकानों की छत को निलाम किया जा सकता है। इस बाबत निर्देश दिये गये कि निदेशक (आयोजना) 15 दिन में प्लानिंग करे कि सीढ़ियां कहां से निकाली जानी हैं। तत्पश्चात दो सप्ताह में सीढ़ियों का निर्माण कराया जावे एवं उक्त छतों को निलामी में रखे जाने हेतु प्रस्तावित किया जावे।
8.	7	57:8	गोविन्दपुरा करघनी योजना के भूखण्ड संख्या सी-255 क्षेत्रफल 264 वर्गमीटर के स्थान पर भूखण्ड संख्या डी-333, डी-334, डी-335 व ई-68 में से एक भूखण्ड विनियम करने बाबत।	खसरा नं. 207 ग्राम गोविन्दपुरा की अवासशुदा भूमि पर अतिक्रमियों की बेदखली के आदेश दिनांक 19.01.09 को जारी किये गये हैं जिसके विरुद्ध कब्जाधारियों द्वारा अपील दायर की गई है जिसमें जविप्रा के खिलाफ स्थगन आदेश प्रदान किया गया है। स्टे वेकेट कराने की कार्यवाही प्राथमिकता से करने के निर्देश दिये गये। समिति द्वारा आवेदक को भूखण्ड सं. सी 255 के स्थान पर समान चौड़ाई की सड़क व समीपस्थ ब्लाक में भूखण्ड सं. ई 68 कुल क्षेत्रफल 270 वर्गमीटर में से 264 वर्गमीटर विनियम करने तथा 6 वर्गमीटर अधिक क्षेत्रफल को आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी कीमत पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
9.	7	57:9	सायंकालीन दैनिक समाचार पत्र "करन्ट ज्वाला" को ग्राम धावास के खसरा नं. 57 में से आवंटित भूमि 2000 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर के स्थान पर आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन एवं नजराना राशि चार समान छ: माही किस्तों में लिये जाने के संबंध में।	सायंकालीन दैनिक समाचार पत्र "करन्ट ज्वाला" के स्वामी ने पूर्व में कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। 54वीं बैठक दिनांक 23.07.09 में लिये गये निर्णयानुसार स्पष्टीकरण चाहे जाने पर उक्त समाचार पत्र के प्रकाशक एवं मुद्रक ने दिनांक 28.07.09 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसे कार्यालय प्रिन्टिंग प्रेस व प्रकाशन के लिये भूमि का आवंटन किया जावे। समाचार पत्र द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट से भी यह स्थिति स्पष्ट होती है कि भूखण्ड प्रिन्टिंग प्रेस, प्रकाशन व कार्यालय के उपयोग में लिया जावे। सायंकालीन दैनिक समाचार पत्र करन्ट ज्वाला को एलपीसी की 52वीं बैठक दिनांक 01.06.09 में ग्राम धावास के खसरा नं. 57 में आवंटित 2000 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया था। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 07.03.1998 के अनुसरण में उक्त भूमि संस्थानिक आरक्षित दर के स्थान पर आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटित की जावे तथा नजराना राशि 4 समान 6 माही किस्तों में वसूल की जावे साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि करन्ट ज्वाला समाचार पत्र के आवंटन पत्र में संशोधन करते हुये यह

ग्रामों आयुक्त विकास मन्त्रिकारण, जयपुर

			उल्लेखित किया जावे कि उक्त भूखण्ड का आवंटन प्रिन्टिंग प्रेस, प्रकाशन संविधाओं आदि के लिये किया गया है।
10.	7	57:9(1)	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी श्रीमती कृष्णा पुनिया दोहा एशियाड में डिस्ट्रिक्ट थो प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता को चित्रकूट योजना में आवासीय भूखण्ड आवंटन बाबत।
1.	6	57:9(2)	लोहामंडी में हार्डवेयर एसोसियेशन के कार्यालय को आवंटित 300.00व.मी. भूखण्ड पर माननीय न्यायालय का स्थगन होने के कारण उसके स्थान पर 247.00व.मी. भूमि आवंटन हेतु
2.	7	57:9(3)	<p>विधानसभा सचिवालय अधिकारी/कर्मचारियों को द्वितीय चरण में आवंटन हेतु सूजित की गई आवासीय योजना विधानसभा सचिवालय समूह आवास विस्तार योजना ग्राम धाउवास हेतु अवाप्त की गई भूमि के खातेदारों को अवार्ड अनुसार निःशुल्क 20प्रतिशत आवासीय भूखण्ड आवंटन करने बाबत।</p> <p>प्रस्तावानुसार अवार्ड में दिये गये हितधारियों को उनके हिस्से की 20 प्रतिशत आवासीय भूमि उनके द्वारा आपसी सहमति से उल्लेख किये गये भूखण्डों को आवंटन करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जहां किसी हितधारी के हिस्से में 20 प्रतिशत से अधिक भूमि आवंटित की जा रही है वहा बढ़े हुए क्षेत्रफल का उक्त क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर से राशि वसूल कर ली जावे तथा जिन हितधारियों के हिस्से में 20 प्रतिशत दिये जाने वाली भूमि से कम भूमि दी जा रही है उन्हे कम क्षेत्रफल की राशि आरक्षित दर से गणना कर लोटाई जावे।</p> <p>समिति द्वारा स्पष्ट रूप से यह भी निर्देश दिये गये कि जिन हितधारी काश्तकारो का मौके पर निर्माण और कब्जा है उन हितधारी काश्तकारो को भूमि का आवंटन पत्र एवं भौतिक कब्जा तब ही दिया जावे जब वे अपना कब्जा / निर्माण आदि पूर्ण रूप से हटा लेंगे।</p> <p>क्योंकि यह प्रकरण अवार्ड मे ली जाने वाली आवासीय भूमि का आपसी सहमति के आधार पर आवंटन करने से संबंधित है अतः राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जावे।</p>

स्तप्तश्चात् बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

प्रतिनिधि आयुक्त (एल.पी.सी.)
प्रतिनिधि आयुक्त प्राधिकरण, जयपुर

(प्रतिनिधि आयुक्त एवं प्राधिकरण, जयपुर)
प्रतिनिधि आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2- निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
- 3- जिला कलक्टर, जयपुर
- 4- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
- 5- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
- 6- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
- 7- मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
- 8- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
- 9- निदेशक(वित्त / अभियोजना), जविप्रा, जयपुर
- 10- अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
- 11- अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
- 12- उपायुक्त जोन-1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- 13- जन सम्पर्क विशेषाधिकारी, जविप्रा, जयपुर
- 14- रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त अदाय सचिव (एल.पी.सी.)
एवं प्राधिकरण, जयपुर
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 57-वीं बैठक दिनांक 28.8.09 में उपस्थित अधिकारियों की सूची:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री सुधांश पंत आयुक्त, जविप्रा	अध्यक्ष
2.	श्रीमति गायत्री राठौड, सचिव	सदस्य
3.	श्री भास्कर शर्मा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री ओ.पी. दोराया, निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
5.	श्री एच.एस. संचेती, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
6.	श्री एन.एल.मीणा, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
7.	श्रीमति दुर्गा जोशी, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
8.	श्रीमति सीमा सिंह, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	सदस्य
9.	श्रीमति शूचि शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)	सदस्य सचिव
10.	श्री जाकिर हुसेन, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व सम्पत्ति निस्तारण)	विशेष आमंत्रित
11.	श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन-2	विशेष आमंत्रित
12.	श्री महेन्द्र सिंह खीरी, उपायुक्त जोन-6	विशेष आमंत्रित
13.	श्री एस. मित्रा, उपायुक्त जोन-7	विशेष आमंत्रित
14.	श्री हदेश शर्मा, उपायुक्त जोन-9	विशेष आमंत्रित
15.	श्री पुरुषोत्तम शर्मा, उपायुक्त जोन-12	विशेष आमंत्रित